भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 234
दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत विकास सूचकांक

†**234 श्री विष्णु दयाल रामः**
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री चंदन चौहानः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री गोडम नागेशः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) 2.0 के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित नियोजन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है जिससे ग्रामीण शासन में बदलाव आ रहा है;
(ख) पीएआई 2.0 साक्ष्य-आधारित नियोजन उपकरणों के माध्यम से पंचायतों को किस प्रकार सशक्त बनाकर ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है;
(ग) क्या पीएआई 1.0 और पीएआई 2.0 के बीच ऐसे कोई महत्तवपूर्ण अंतर हैं जिससे तंत्र की उपयोगिता, प्रभावशीलता और सटीकता में और सुधार हुआ हो;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पीएआई 2.0 जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, सहभागितापूर्ण और जवाबदेह शासन प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ड): मंत्रालय ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 9 विषयों में समेकित करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष

2030 तक सतत विकास एजेंडा को जमीनी स्तर पर प्राप्त करना है। इस विषयगत दृष्टिकोण से वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ संरेखित करना आसान हो जाता है, जिससे वे स्थानीय स्तर पर, अर्थात् पंचायत स्तर पर, कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रासंगिक और कार्रवाई करने योग्य बन जाते हैं।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) ग्राम पंचायत में एलएसडीजी के पूरे होने की वर्तमान स्थिति/स्तर को इंगित करता है और स्थानीय एसडीजी को प्राप्त करने और परिणामस्वरूप एसडीजी 2030 को प्राप्त करने में ग्राम पंचायत द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को भी मापता है। पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) एक बहु-क्षेत्रीय सूचकांक है जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, कार्य-निष्पादन और प्रगति को मापने के लिए किया जाता है।

पीएआई के उद्देश्यों में से एक विषयगत अंकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के एलएसडीजी के 9 विषयों में विकास में हो रहे अंतर की पहचान करना और विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए विषयों में संकल्प को प्राथमिकता देते हुए विकास और कार्रवाई संबंधी बिंदुओं के स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करके जमीनी स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना बनाने के लिए पंचायत को सक्षम बनाना है।

पीएआई वित्त वर्ष 2023-24, अर्थात पीएआई 2.0, का कार्य हाल ही में मई 2025 में शुरू किया गया था। पीएआई 2.0 के लिए डेटा संग्रहण प्रक्रिया फिलहाल प्रगति पर है। पीएआई स्कोर और विषय स्कोर का संकलन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मान्य आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा। विषयगत और समग्र पीएआई 2.0 (वित्त वर्ष 2023-24) स्कोर, आधारभूत पीएआई 1.0 (वित्त वर्ष 2022-23) से ग्राम पंचायत की वृद्धिशील प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं; 9 विषयों में महत्वपूर्ण अंतरों की पहचान करते हैं और साक्ष्य-आधारित नियोजन उपकरणों का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा ग्रामीण शासन की प्रदायगी को मज़बूत बनाते हैं।

पीएआई 1.0 से पीएआई 2.0 में परिवर्तन, उपयोगिता में सुधार करने और साथ ही कार्य की निरंतरता को सरल बनाकर तथा विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टलों से स्वचालित डेटा मानकीकरण को सक्षम बनाकर ग्राम पंचायत के संचालन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए स्थानीय संकेतकों और डेटा बिंदुओं के और अधिक प्रासंगिक और प्रदर्शक सेट सहित फ्रेमवर्क में हुए विशेष संशोधन को दर्शाता है। सटीक और गुणवत्तापूर्ण डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रविष्टि के स्तर पर एक एकीकृत डेटा प्रविष्टि प्रपत्र प्रदान करने और सॉफ्ट सत्यापन जांच लागू करने के द्वारा पीएआई पोर्टल को भी विस्तृत बनाया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार; भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पीएआई के संकेतकों तथा डेटा बिंदुओं के युक्तिकरण पर समिति से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, पीएआई 1.0 की तुलना में पीएआई 2.0 में डेटा बिंदुओं और संकेतकों में क्रमश: 70.93% एवं 71.04% की कमी आई है।

****